

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/143/65/वि/नियम/चार/2002

रायपुर, दिनांक 6.3.2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय:- पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप दिनांक 1.1.96 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का पुनरीक्षण बाबत् ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ/25/7/चार/पी.डब्ल्यू.सी., भोपाल दिनांक 6.10.2001.

म.प्र. शासन, वित्त विभाग का संदर्भित परिपत्र जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, को छत्तीसगढ़ शासन यथा स्थिति मान्य करती है ।

2. सभी विभाग परिपत्र में दर्शाये निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण संबंधी त्वरित कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य दिनांक 31.3.2002 तक पूर्ण हो जाय ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


क्रमांक/144/65/वि/नियम/चार/2002

रायपुर, दिनांक 6.3.2002

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. सचिव विधानसभा, जीरो प्वाइंट, रायपुर ।

5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
6. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, डी.के. भवन, रायपुर ।
7. विशेष सहायक/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन ।
8. महालेखाकार, (छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ) लेखाभवन, ग्वालियर ।
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर ।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
12. समस्त जिलाध्यक्ष , छत्तीसगढ़ ।
13. मुख्य लेखाधिकारी, अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस.
भवन, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ शासन ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ शासन ।
16. समस्त कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन ।
17. उपनियंत्रक , शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़, राजनांदगांव ।



(एस.के. चक्रवर्ती)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग